न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 93/2021 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री हरि सिंह राजपूत पुत्र देबी सिंह निवासी बागड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा।
——अपीलार्थी		——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :—प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 24.12.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के विरूद्व दिनांक 30.11.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 451751 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 12.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.12.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी द्वारा पत्रांक 1851 दिनांक 21.12.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :—

1. अपीलार्थी के आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 1850 दिनांक 21.12.2021 द्वारा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 24.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा